कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 363 /तकनीकी/2015 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय – प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा स्टाम्प शुल्क हेतु प्राप्त की गई छूट का दुरूपयोग कर वाणिज्यिक उपयोग किए जाने बाबत्।

–00–

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना कमांक बी–4–17–94–वा. कर–पांच, दिनांक 22.06.1998 के द्वारा प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा स्ववित्तीय योजना के अधीन निर्मित भवनों/प्रकोष्ठों के संबंध में निष्पादित विक्रय के विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग समूह तथा मध्यम आय वर्ग समूह के प्रवर्गों के भवनों/प्रकोष्ठों के लिए कमशः 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, तथा 25 प्रतिशत की सीमा तक छूट प्रदान की गई है। यह अधिसूचना, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना कमांक एफ बी–4–29–2014–2–पांच(01), दिनांक 02.01.2015 में अनुच्छेद 25 अंतर्गत सरल कमांक 01 पर दर्शित है।

2. यह ध्यान में आया है कि गृह निर्माण प्रयोजन हेतु प्राप्त की गई स्टाम्प शुल्क की इस छूट का लाभ लेने के बाद कुछ भवन मालिकों द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु प्राप्त की गई सम्पत्ति पर व्यावसायिक प्रयोजन का निर्माण कराया जाकर राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई छूट का दुरूपयोग किया गया है।

3. अतः कृपया अपने जिले में ऐसी सम्पत्तियों का सर्वे करवाएं, जिनमें निम्न आय वर्ग समूह एवं मध्यम आय वर्ग समूह के प्रवर्गों द्वारा प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों से आवासीय भवन प्राप्त करते समय स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त की गई है। यदि इन भवनों कां अब व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना पाया जाता है तो पूर्व में प्रदाय की गई छूट को निरस्त करते हुए उस दस्तावेज पर वास्तव में देय स्टाम्प शुल्क तत्समय के व्यवसायिक सम्पत्ति के मूल्य अनुसार संगणित कर वसूल करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक 364 /तकनीकी/2015 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

प्रतिलिपि –

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

E:\virendra\Technical\LETTER2015_816

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 365/तकनीकी/2015 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय – नोटरियों द्वारा शपथ पत्र के अतिरिक्त सभी दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियां संधारित करने बाबत्।

संदर्भ – मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पत्र कमांक 3325/21–ब (दो), भोपाल, दिनांक 17.11.2014

–00–

कृपया मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.11.2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। इस पत्र में यह लिखा गया है कि आपके स्तर से जिले में पदस्थ नोटरियों को इस आशय के निर्देश दिए जाएं कि वे शपथ पत्र के अलावा सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित सभी दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियां उनके पास न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक अपने अभिलेख में संधारित करें एवं राज्य शासन द्वारा निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण के समय उक्त संधारित दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि जांच हेतु उपलब्ध कराएं।

2. कृपया इस आशय के निर्देश जारी कर अपने जिले के नोटरियों के नियमित निरीक्षण हेतु पंजीयन अधिकारियों का निरीक्षण रोस्टर बनवाएं, एवं नोटरियों के निरीक्षण में पाए गए कमी शुल्क के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक 366 /तकनीकी/2015 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

E:\virendra\Technical\LETTER2015_815

स्पीड पोस्ट

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 3325/21-ब(दो), भोपाल, दिनांक /10/2014 17-11-14

प्रति,

समस्त कलेक्टर.

विषयः-नोटरी एवं शपथ पत्रों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों की प्रतियां संधारित किये जाने बाबत्।

--00--

उपरोक्त विषयक मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक बी-4-13/दो/2014, दिनांक 30.08.2014 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि जिले में पदस्थ नोटरियों को इस आशय के निर्देश देवें कि वे शपथ पत्र के अलावा नोटरी द्वारा सत्यापित अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित सभी दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियां उनके पास न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अपने में अभिलेख में संधारित करें एवं राज्य शासन द्वारा निरीक्षण के लिये प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण के समय उक्त संधारित दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि जांच हेतु उपलब्ध करावें।

(अमिताभ मिश्र) 31/10/2014

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,